

निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,  
झालावाड़

मि0न0 31/प्रा0पत्र/23

तारीख दायरा 03.03.2023

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक

जिला रसद कार्यालय झालावाड़

प्रार्थी

बनाम

श्री जावेद अली आत्मज श्री मोहम्मद जहीर

c/o अब्दुल रजाक/मो0 मेहमूद का मकान

पुरानी जेल रोड़ वसुन्धरा विहार कॉलोनी झालावाड़,

अप्रार्थी



प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 04  
घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 मोटर मय पाइप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:- परोकार रसद

-: निर्णय :-

दिनांक: 06.03.2024

यह प्रा0पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय झालावाड़ के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमें निवेदन किया है कि दिनांक: 21.02.2023 को जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे जहां घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री जावेद अली, नि0 पुरानी जेल रोड़ वसुन्धरा विहार कॉलोनी झालावाड़ उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 04 घरेलू एचपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर एवं 01 मोटर मय पाइप का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जब्त 04 एचपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 मोटर मय पाइप को मेसर्स सत्यम एचपी गैस एजेंसी झालावाड़ के सप्लायर श्री रामबाबू/कालूलाल की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।


प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

बहस परोकार रसद सुनी गई। अप्रार्थी दौराने बहन उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। परोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पहुंचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 04 घरेलू एचपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर एवं 01 मोटर मय पाइप का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER

11.11.23  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1) (सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस परोकार रसद पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 04 घरेलू एचपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर, 01 मोटर मय पाईप का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधी किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि घरेलू गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौराने तलाशी गैस सिलेण्डर के साथ 01 मोटर मय पाईप का मिलना यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, मोटर मय पाईप को रखना घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से रिफिलिंग/व्यावसायिक कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 04 घरेलू एचपीसीएल कम्पनी के एलपीजी सिलेण्डर, 01 मोटर मय पाईप को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब पाईप व वाल्व का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 06.03.2024 को  न्यायालय में सुनाया गया।

4 Jun 2024  
11.05  
(अजय सिंह राठौड़)  
जिला कलेक्टर  
झालावाड़